# भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवंबर 2021

#### संकल्प

सं. 20017/01/2020-रा.भा.(नीति)—भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	गृह राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी)	सदस्य
4.	स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
5.	शिक्षा मंत्री	सदस्य
6.	विधि और न्याय मंत्री	सदस्य
7.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य
8.	महिला एवं बाल विकास मंत्री	सदस्य
9.	ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
10.	विदेश मंत्रालय एवं संसदीय कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री	सदस्य
11.	मुख्य मंत्री, असम	सदस्य
12.	मुख्य मंत्री, ओड़िशा	सदस्य
13.	मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
14.	मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
15.	मुख्य मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
16.	मुख्य मंत्री, उत्तराखंड	सदस्य
17.	उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
18.	संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक	सदस्य
19.	संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
20.	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
21.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव
21.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव

- 2. यह समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।
- 3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उपसमितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।
- 4. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च स्तरीय समिति माना जाएगा।
  - 5. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।
  - 6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधरण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीनाक्षी जौली संयुक्त सचिव

### नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

## नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 सितम्बर 2021

#### संकल्प

सं. 11015(1)/2019-हिंदी—नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :—

#### 1) गठन:

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे:—

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

अध्यक्ष

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

#### गैर-सरकारी सदस्य

- क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य :
- डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य (लोक सभा)
  189, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011

सदस्य

श्री भरत राम मारगनी, संसद सदस्य (लोक सभा)
 8, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली-110001

सदस्य

3. श्री अमीन नरहरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) एबी-89, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011

सदस्य

4. श्रीमती ममता मोहंता, संसद सदस्य (राज्य सभा) डाकखाना-नंगलबेंटा पोखरिया, जिला-मयुरभंज, ओडिशा-757033

सदस्य

- ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य:
- श्री किन्जरापु राम मोहन नायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) सी-6, एमएस फ्लैट्स, सिंधु अपार्टमेंट्स, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

सदस्य

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 9th November 2020

#### RESOLUTION

No. 20017/01/2020-O.L.(Policy)—The Government of India have decided to reconstitute the Kendriya Hindi Samiti. The Samiti will consist of:—

1.	Prime Minster	Chairman
2.	Home Minister	Deputy Chairman
3.	Minister of State, Incharge of Official Language in Ministry of Home Affairs	Member
4.	Minister of Health & Family Welfare	Member
5.	Minister of Education	Member
6.	Minister of Law & Justice	
7.	Minister of Electronics & Information Technology	Member
8.	Minister of Women & Child Development	Member
9.	Minister of Rural Development	Member
10.	Minister of State, Ministry of External Affairs and Ministry of Parliamentary Affairs	Member
11.	Chief Minister, Assam	Member
12.	Chief Minister, Odisha	Member
13.	Chief Minister, Andhra Pradesh	Member
14.	Chief Minister, Maharashtra	Member
15.	Chief Minister, Karnataka	Member
16.	Chief Minister, Uttrakhand	Member
17.	Deputy Chairman, Committee of Parliament on Official Language	Member
18.	Convenor of 1st sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
19.	Convenor of 2nd sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
20.	Convenor of 3rd sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language	Member
21.	Secretary, Department of Official Language	Member Secretary

- 2. The functions of this Samiti will be to bring about coordination in the work and programmes relating to the development and propagation and progressive use of Hindi for the official purposes being implemented by the various Ministries/ Departments of Government of India.
- 3. The Samiti will have the power to appoint Sub-Committees and Co-opt additional members, as may be necessary, for assisting it in the discharge of its functions.
- 4. This Samiti will be treated as High Powered Committee for the purposes of grant of TA/DA to its non-official members for participation in its meetings.
  - 5. The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution.
  - 6. The Headquarter of the Samiti will be at New Delhi.

#### ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.